"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016— भाद्रपद 18, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2. — छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 14, 15 एवं 16 सहपठित धारा 40 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, सी-ब्लाक, ब्लॉक-2 तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

नियम प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - (1) इस नियम में, जब तक कि संदर्भ सें अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे किसी पक्षकार द्वारा आयोग के समक्ष अपील या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) ''केन्द्रीय अधिनियम'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20);

(ग) ''केन्द्र शासन'' से अभिप्रेत है भारत सरकार;

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष;

(ड.) ''आयोग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग;

(च) ''जिला शिकायत निवारण अधिकारी'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया अधिकारी;

(छ) ''खाद्य सुरक्षा भत्ता'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 के अधीन पात्र व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा संदाय की जाने वाली धनराशि;

(ज) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का सदस्य;

(झ) ''नोडल अधिकारी'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 और राज्य अधिनियम की धारा 19 के अधीन क्रमशः जिला स्तर पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं राज्य स्तर पर संयुक्त संचालक, खाद्य;

(ञ) ''राज्य अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013);

(ट) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20), छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में उनके लिये समनुदेशित है।

३. **शिकायत निवारण तंत्र.**— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी निगरानी और शिकायत निवारण के लिये आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र होगा जिसमें जिला शिकायत निवारण तंत्र तथा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग समाविष्ट होंगे।

4. **जिला शिकायत निवारण तंत्र.**— (1) व्यथित व्यक्ति के शिकायत के शीघ्र एवं प्रभावी निवारण के लिये जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा यथा प्राधिकृत अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में अभिहित किये जायेंगे।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय का नाम, उसका पदनाम तथा दूरभाष नंबर ग्राम पंचायत, स्थानीय नगरीय निकाय के कार्यालय में एवं उचित मूल्य दुकानों के भवन में प्रदर्शित किया जायेगा।

5. **जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया.**— (1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी, पात्रतापूर्ण खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किये जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कॉल सेन्टर, नोडल अधिकारी या सीधे हितग्राहियों से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर सकेंगे।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय नगरीय निकाय के कार्यालय में किया जायेगा तथा विहित प्रपत्र भरते समय व्यथित व्यक्ति को सहायता दी जायेगी यदि वह ऐसा अनुरोध करता है और तद्नुसार शिकायतकर्ता को पावती दी जायेगी।

(4) ग्राम पंचायत (ग्रामीण स्तर) में प्राप्त शिकायतों को पंचायत सचिव द्वारा पृथक पंजी में दर्ज की जायेगी, जो इसे तीन दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को

अग्रेषित करेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ऐसी शिकायतों को वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रविष्ट करेगा तथा इसे सात दिवस की कालावधि के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को ऑनलाईन एवं भौतिक (व्यक्तिगत) रूप से अग्रेषित करेगा।

(5) स्थानीय नगरीय निकाय कार्यालय में प्राप्त किये गये शिकायतों को पृथक पंजी में संधारित की जायेगी तथा निकाय द्वारा वेबसाईट पर इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि की जायेगी और सात दिवस की कालावधि के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को ऑनलाईन एवं भौतिक (व्यक्तिगत) रूप से अग्रेषित की जायेगी।

(6) जिला शिकायत निवारण अधिकारी, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों, (विभाग के खाद्य निरीक्षक, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, सहकारिता विभाग के सहकारिता निरीक्षक तथा पुलिस विभाग के उप–निरीक्षक से अनिम्न के न हों), के माध्यम से शिकायतों की जांच करवा सकेगा। ऐसा अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) में विहित समय–सीमा के भीतर जांच करेगा तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(7) जिला शिकायत निवारण अधिकारी, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत, उभय पक्षों को उनके प्रकरण प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए तथ्यों के आधार पर खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को या तो भत्ता प्रदाय कर सकेगा या राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत आदेश जारी कर सकेगा।

(8) जिला शिकायत निवारण अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर शिकायत का निराकरण करेगा तथा तद्नुसार शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(9) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिवस की कालावधि के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(10) जिला शिकायत निवारण अधिकारी, की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को प्रस्तुत करेगा।

6. **कॉल सेन्टर.**— (1) केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में उपभोक्ताओं से शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराने हेतु कॉल सेन्टर स्थापित किया जायेगा।

(2) कॉल सेन्टर का दूरभाष क्रमांक, प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के भवन तथा अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड में प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किये जाने के संबंध में कॉल सेन्टर में प्राप्त शिकायतों को नोडल अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज करायी गई अन्य शिकायतों का निराकरण संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

7. **छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग.**— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों के अनुसार, उक्त अधिनियम के साथ—साथ राज्य अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जायेगी। आयोग का प्रशासकीय नियंत्रण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन होगा।

8. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया.**— आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की रीति निम्नानुसार होगी,—

(क) राज्य शासन, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 16 की उप—धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के मामले में, मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से (नये पद के सृजन से) रिक्त होता है तो ऐसे रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति की जायेगी।

(ग) रिक्त पद पर (मृत्यु या नये पद के सृजन को छोड़कर) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ऐसे पद की रिक्ति से कम से कम 3 माह पूर्व प्रारंभ करेगा।

9. **सदस्य सचिव के कार्य.**— आयोग का सदस्य सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से निम्नलिखित कार्य संपादित करेगा, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय अधिनियम तथा राज्य अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में, आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन कराना;

(ख) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की बैठक बुलाना एवं तद्नुसार आयोग के सदस्यों को बैठक की सूचना देना;

(ग) अध्यक्ष के परामर्श से बैठक के लिये कार्यसूची तैयार करना;

(घ) बैठक के 3 दिवस पूर्व आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक की कार्यसूची उपलब्ध कराना;

(ङ) बैठक की कार्यवाही विवरण तैयार करना एवं बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना एवं लिये गये निर्णयों के परिपालन की जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत कराना;

(च) आयोग के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु नवीन पदों के सृजन, नियुक्ति एवं बजट प्रावधान आदि के लिए राज्य शासन से परामर्श कर कार्यवाही सुनिश्चित कराना;

(छ) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करना तथा इसे राज्य शासन के माध्यम से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कराना तथा अन्य व्यवस्था कराना;

(ज) आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमाओं के भीतर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित कराना; और

(झ) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

10. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन तथा देय अन्य भत्ते.**– आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट वेतन, मानदेय एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे तथा इनका भुगतान राज्य शासन की संचित निधि से किया जायेगा।

11. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल.**– (1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल, ऐसे होंगे जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है।

(2) अध्यक्ष या सदस्य अपने हस्ताक्षराधीन और राज्य शासन को संबोधित पत्र द्वारा त्याग पत्र प्रस्तुत करते हुए, पद से त्यागपत्र दे सकेंगे:

परन्तु यह कि ऐसा पद केवल तब रिक्त होगा, जब राज्य शासन त्याग पत्र स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या सदस्य को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (9) एवं (10) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(3) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व, व्यक्ति को यह घोषित करना होगा कि उसने ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित अर्जित नहीं किया है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा के निर्बंधन तथा शर्तें, उनकी पदावधि के दौरान उनके हित के विरूद्ध परिवर्तित नहीं किये जायेंगे।

(5) उप–नियम 2 के अधीन अध्यक्ष या सदस्य के त्याग पत्र या हटाये जाने पर, इस प्रकार रिक्त पद को नई नियुक्ति के माध्यम से भरी जायेगी।

(6) आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति की दशा में, समतुल्य पद के वरिष्ठतम सदस्य (नियुक्ति की तिथि के अनुसार), अध्यक्ष के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा, जब तक कि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नवनियुक्त, कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।

(7) यदि आयोग का अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ पाया जाता है तो आयोग का वरिष्ठतम सदस्य (नियुक्ति की तिथि के अनुसार), अध्यक्ष के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा, जब तक कि अध्यक्ष, कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।

12. **आयोग का मुख्यालय, कार्य दिवस, इत्यादि.** – (1) आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी में अवस्थित होगा।

(2) आयोग के कार्य दिवस तथा कार्य के घंटे वही होंगे, जो राज्य सरकार के हैं।

(3) आयोग की कार्यालयीन मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) अध्यक्ष, आयोग की बैठक, जैसा और जब आवश्यक हो, किसी भी समय बुला सकेगा।

(5) आयोग के बैठक की गणपूर्ति कम से कम चार सदस्यों से होगी।

13. **आयोग के कार्यालयीन अमले एवं उनकी सेवा की शर्तें.**– (1) रजिस्ट्रार का एक पद, प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा।

(2) आयोग के लिए स्वीकृत अमले की नियुक्ति, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अंगीकृत प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। लिपिकीय अमले, तकनीकी अमले एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति, छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अराजपत्रित लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी को लागू भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(3) राज्य शासन द्वारा, शासकीय कर्मचारियों के लिये, समय–समय पर विहित सेवा शर्तें, आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

(4) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान राज्य शासन की संचित निधि से किया जायेगा।

14. **अपील की सुनवाई हेतु प्रक्रिया.**— (1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश के जारी होने के तीस दिवस के भीतर राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा:

परन्तु यह कि आयोग, उक्त तीस दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात्, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि उस कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(2) अपील, आवेदक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से या तो व्यक्तिगत रूप से आयोग को प्रस्तुत करेगा या आयोग के पते पर डाक के माध्यम से भेजा जा सकेगा।

(3) उपर्युक्त प्रस्तुत की गई अपील, सुपाठ्य, सुस्पष्ट शीर्षकों सहित, पैराग्राफ युक्त तथा संक्षेपित होना चाहिये।

(4) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, की अभिप्रमाणित प्रति और अपील के समर्थन में अन्य दस्तावेज, अपील के साथ संलग्न किये जायेंगे।

(5) उप—नियम (1) में विहित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् अपील प्रस्तुत करने की दशा में, आवेदन के साथ अपील की प्रस्तुति में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले समर्थित शपथपत्र, अपील के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

(6) आयोग, अपील की प्राप्ति पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की पुष्टि, उसका उपान्तरण या उसको अपास्त करते हुए उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(7) यदि आयोग, पक्षकारों की सुनवाई के लिये कोई तारीख नियत करता है, तो पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के लिये बंधनकारी होगा कि नियत तारीख या किसी बढ़ायी गई तारीख को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि अपीलार्थी या उसका

प्राधिकृत अभिकर्ता, ऐसी तारीख पर सुनवाई हेतु उपस्थित होने में विफल रहता है तो आयोग, या तो अपील को खारिज कर सकेगा या मामले के आधारों एवं तथ्यों के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(8) आयोग द्वारा पारित आदेश पर, आयोग द्वारा गठित बैंच के सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किया जायेगा और पक्षकारों को इसकी संसूचना निःशुल्क दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st September 2016

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/Food/29-2. — The following draft of the Chhattisgarh Public Distribution System (Internal Grievance Redressal) Rules, 2016, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 14, 15 and 16 read with Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) and Section 19 and 30 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in Official Gazette:

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours in the Office of Director, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, C-Block, Block-2 Third Floor, Indrawati Bhawan, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Public Distribution System (Internal Grievance Redressal) Rules, 2016.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Agent**" means any person who has been authorized by any party for submission of appeal or reply before the Commission;

(b) "**Central Act**" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(c) "**Central Government**" means the Government of India;

(d) "**Chairperson**" means Chairperson of the Chhattisgarh State Food Commission;

(e) "**Commission**" means the Chhattisgarh State Food Commission;

(f) "**District Grievance Redressal Officer**" means an Officer appointed under sub-section (1) of Section 15 of the Central Act;

(g) "**Food Security Allowance**" means the amount of money to be paid by the State Government to the entitled persons under Section 8 of the Central Act;

(h) "**Member**" means Member of the Chhattisgarh State Food Commission;

(i) "**Nodal Officer**" means Food Controller/Food Officer at District level and Joint Director, Food at State level under Section 14 of the Central Act and Section 19 of the State Act respectively;

(j) "**State Act**" means the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013);

(k) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh.

(2) Words and expression used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and the Rules made thereunder.

3. **Grievance Redressal Mechanism.-** There shall be an Internal Grievance Redressal Mechanism for monitoring and redressal of grievances regarding implementation of the provisions of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) and the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), comprising of the District Grievance Redressal Mechanism and the Chhattisgarh State Food Commission.

4. **District grievance redressal mechanism.-** (1) For expeditious and effective redressal of grievances of aggrieved persons, District Collector or the Additional Collector/Joint Collector, as may be, authorized by the Collector shall be designated as the District Grievance Redressal Officer.

(2)Name of the office of the District Grievance Redressal Officer, his designation and telephone number shall be displayed in the Office of Gram Panchayat, Urban Local Body and Fair Price Shop building.

5. **Procedure of grievance redressal mechanism at district level.-** (1) District Grievance Redressal Officer shall hear the grievances received from call centers, Nodal Officer or directly from the beneficiaries, regarding non-distribution of entitled food grains or meal and matters relating thereto.

(2) Complaints shall be filed before District Grievance Redressal Officer in the proforma prescribed by the Director, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection.

(3) Complaints to the District Grievance Redressal Officer shall be received in the Office of the Gram Panchayat and Urban Local Bodies and assistance shall be given to aggrieved persons in filling the prescribed proforma if such a request is made and accordingly acknowledgement shall be given to the complainant.

(4) Grievances received in Gram Panchayat (Rural Level) shall be entered in a separate register by Panchayat Secretary, who shall forward the same to Sub-Divisional Officer (Revenue) within three days. The Sub-Divisional Officer (Revenue) shall make an online entry of such complaint on the website and forward the same online to District Grievance Redressal Officer and physically within a period of seven days.

(5) Grievances received in the Urban Local Bodies shall be maintained in a separate register and online entry of the same shall be made by the body on the website and forward the same online to the District Grievance Redressal Officer and physically within a period of seven days.

(6) District Grievance Redressal Officer can make enquiry into the grievances through Officers authorized in this behalf (not below the rank of Food Inspector of the Department, Nayab Tehsildaar of Revenue Department, Cooperative Inspector of Cooperative Department and Sub-Inspector of Police Department). Such Officers shall conduct enquiry within the time limit prescribed in the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) and submit the report to the District Grievance Redressal Officer.

(7) District Grievance Redressal Officer, on receipt of the enquiry report, shall give an opportunity to both the parties to represent their case and based on the facts he can either provide allowance to the affected person as per the provisions of the Food Security Allowance Rules, 2015 or issue suitable orders under the provisions of the State Act.

(8) District Grievance Redressal Officer shall redress the grievance within a period of fifteen days from the date of receipt of enquiry report from the authorized Officer and inform the complainant accordingly.

(9) Appeal against the order passed by the District Grievance Redressal Officer can be submitted to the Chhattisgarh State Food Commission within a period of thirty days from the date of issue of order.

(10) District Grievance Redressal Officer shall submit through the Administrative Department, Annual report of the action taken to the Chhattisgarh State Food Commission.

6. Call Center.- (1) Call Centres shall be established to lodge complaints and suggestions from the consumers regarding implementation of the Central Act and the State Act.

(2) Telephone numbers of the Call Centers shall be displayed at every Fair Price Shop building and on Antyodaya and Priority ration cards.

(3) Complaints received at the Call Centers regarding non-distribution of food grains or meals under the Central Act and the State Act shall be submitted by the Nodal Officer to the District Grievance Redressal Officer.

(4) Redressal of other complaints lodged by the consumers regarding implementation of Public Distribution System shall be done according to the procedure prescribed by the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection.

7. Chhattisgarh State Food Commission.- There shall be established the Chhattisgarh State Food Commission as per the provision of Section 16 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) for monitoring and review of implementation of provisions of the said act as well as of the State Act. Administrative control of the commission shall be under the Department of Food, Civil Supplies & Consumer Protection, Government of Chhattisgarh.

8. Procedure of Appointment of the Chairperson and Members of the Commission. – The method of appointment of Chairperson and members of the Commission shall be as under,-

(a) the State Government shall appoint the Chairperson and Members from amongst the persons having qualifications specified under sub-section (3) of section 16 of the Central Act.

(b) In case the post of Chairperson or Member becomes vacant due to death or for any other reason (creation of new post), the appointment shall commence immediately on such post becoming vacant.

(c) Procedure of appointment of Chairperson and Members of the Commission on the vacant post (other than by death or creation of new post) shall commence, at least 3 months prior to such post becoming vacant.

9. Duties of Member Secretary:- Member Secretary of the Commission shall perform the following duties in consultation with the Chairperson, namely:-

(a) Ensure compliance of the decisions taken by the Commission regarding implementation of the Central Act and State Act;

(b) Call meetings of the Commission in consultation with the Chairperson and intimate the members of the Commission accordingly;

(c) prepare agenda for the meeting in consultation with the Chairperson;

(d) make available the agenda of the meeting to the Chairperson/members of the Commission prior to 3 days of the meeting;

(e) prepare minutes of the meeting and make it sure to implement the decision taken in the meeting and submit

information regarding compliance of the decision taken in the next meeting;

(f) ensure, creation of new posts, appointments and budget provision etc. in consultation with the State Government for various activities of the Commission;

(g) prepare annual report and audit report of the Commission and submit the same at the State Assembly through State Government and to make other arrangements;

(h) perform duties within the financial limits fixed by the Chairperson of the Commission; and

(i) to act as Disciplinary Authority for officers and employees of the Commission.

10. Salary and other allowances payable to the Chairperson and Members of the Commission.- Chairperson and Members of the Commission shall receive salary, honorarium and other allowances as specified by the State Government, from time to time, and the same shall be paid from the Consolidated Fund of the State Government.

11. Terms of office of Chairperson and Members of the Commission. – (1) The term of office of Chairperson and Members of the Commission shall be such as specified under sub-section (4) of Section 16 of the Central Act.

(2) The Chairperson or Member can resign from the post by submitting resignation letter signed under his hand and addressed to the State Government:

Provided that, such post shall become vacant only when the State Government accepts resignation:

Provided further that, the Chairperson or Member can be removed from his post in accordance with the provisions

contained in sub-section (9) and (10) of Section 16 of the Central Act.

(3) Prior to appointment as Chairperson or Member of the Commission, person has to declare that he shall not have any financial or other interests, which may negatively affect the performance of his duties as a Chairperson or Member.

(4) Terms and conditions of service of the Chairperson or Members shall not be changed against his interest during his tenure.

(5) On resignation or removal of the Chairperson or Member under sub-rule 2, the post so becoming vacant shall be filled through new appointment.

(6) In case of any vacancy in the post of Chairperson of the Commission, the senior most member (as per the date of appointment) of equivalent post shall perform the duties of Chairperson, till a new appointee takes over the charge as the Chairperson of the Commission.

(7) In case the Chairperson of the Commission is found unable to perform his duties due to absence, illness or any other reason, senior most member (as per the date of appointment) of the Commission shall perform the duties of Chairperson, till the Chairperson takes over the charge.

12. Head office of the Commission, working days, etc. - (1) Head Office of the Commission shall be situated at the State capital.

(2) Working days and working hours of the Commission shall be same as that of the State Government.

(3) Official seal and emblem of the Commission shall be such as may be specified by the State Government.

(4) Chairperson may call the meeting of the Commission at any time, as and when required.

(5) Quorum for the meeting of the Commission shall be at least of four members.

13. Office staff of the Commission and their terms of service. - (1) There shall be one post of Registrar, not below the rank of Class-I Officer on deputation basis.

(2) Appointment of the staff approved for the Commission shall be made as per the procedure adopted by the State Government from time to time. Appointment and promotion of the clerical staff, technical staff and Class IV posts shall be made according to the provisions of recruitment rules applicable to the Non-Gazette Clerical and Class-IV Staff of the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.

(3) Service conditions prescribed by the State Government, from time to time, for the Government Employees shall also be applicable to the officers/employees of the Commission.

(4) Salary payable to the officers/employees of the Commission shall be paid from the Consolidated Fund of the State Government.

14. Procedure for hearing of appeal.- (1) Any appeal against the order passed by the District Grievance Redressal Officer shall be submitted to the State Commission within thrity days of issue of the order:

Provided that the Commission may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) Appeal shall be submitted to the Commission either in person by the applicant or through his duly authorized agent or may be sent at the address of the commission through post.

(3) Appeal submitted above should be legible, under clear headings, paragraphed and summarized.

(4) Certified copy of the order passed by the District Grievance Redressal Officer against whom the appeal is filed and such other documents in support of the appeal shall be enclosed with the appeal.

(5) In case the appeal is filed after the time limit prescribed in sub-rule (1), an application along with supporting affidavit showing reason of delay in submission of the appeal shall be filed along with the appeal.

(6) On receipt of an appeal, the Commission may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(7) If the Commission fixes a date for hearing of the parties, complainant or his authorized agent shall be bound to attend the hearing on the date fixed or the extended date. In case the complainant or his authorized agency fails to attend the hearing on the fix date, Commission may either reject the appeal or decide it on the grounds and facts available in the case.

(8) The order passed by the Commission shall be signed with date by the members of the bench constituted by the Commission and shall be intimated to the parties free of cost.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.